

14/11/14  
Ar

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय  
कोनी, बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)  
दूरभाष : 07752-260017 फैक्स : 07752-260154  
वेबसाइट : www.ggu.ac.in



GURU GHASIDAS VISHWVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)  
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009)  
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)  
Phone 07752-260017, FAX : 07752-260154  
Website : www.ggu.ac.in

कमांक / 1897/प्रशा./स्था./2014

बिलासपुर, दिनांक...13-11-14

कार्यालयीन ज्ञाप


शैक्षणिक विभागों के अध्यापकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की आकस्मिक, ऐच्छिक एवं एवजी अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :-

1. शैक्षणिक विभागों के अध्यापकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अवकाश व मुख्यालय छोड़ने आवेदनो को विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, विभागाध्यक्ष के आवेदन को संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा एवं अधिष्ठाताओं के आवेदन को कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। अवकाश संधारण नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. गैर शैक्षणिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की आकस्मिक, ऐच्छिक एवं एवजी अवकाश की स्वीकृति व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी नियंत्रक अधिकारी/प्रभारी द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। समस्त नियंत्रक अधिकारियों के उपरोक्त अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कुलसचिव द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। कुलसचिव के उक्त अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। अवकाश संधारण नियंत्रक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य अवकाशों की स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्व व्यवस्था अनुसार लागू रहेगी। अवकाश संधारण की प्रक्रिया प्रभावशील नियमों के अनुसार लागू होगी।

03. जिलाध्यक्ष-जिला बिलासपुर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश यथावत् विश्वविद्यालय में लागू होंगे। इसकी सूचना संबंधित विभागो/कार्यालयों में भेज दी जायेगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक...13-11-14

पू.कं. 1898/प्रशा./स्था./2014

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति महोदय के निजी सचिव की ओर कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण/समस्त शैक्षणिक विभागो के विभागाध्यक्षगण/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, मुख्यकुलानुशासक एवं परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)/मुख्य छात्रवास अधीक्षक/छात्रवास के प्रशासनिक अधीक्षक एवं अधीक्षकगण/समस्त अधिकारीगण/समस्त कक्ष अधिकारीगणों की ओर सूचनार्थ एवं अधिनस्थों को तदनुसार अवगत कराते हुये पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
03. विश्वविद्यालय के वेब पटल/मिडीया प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कार्यालय प्रति।

1. P.lead  
website  
5/6/15  
Ar  
8/11/14

13/11/14  
उप-कुलसचिव (प्रशासन)